पुस्तकालय

226
18-7-02

सत्यमेव जयते

असंशोधित

10 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० सं० मु० (एल० ए०) 86—मोनो—1000—16-3-2002—,

टर्न-19/मधुप/10.7.2002

शून्य - काल
=========

श्री हरि प्रसाद साह : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत, ग्राम - मस्थौर गोठ, थाना-अन्धराठाढ़ी के श्री रामेश्वर सतवे की हत्या दिनांक 10.4.2002 को तथा उनकी पत्नी परमेश्वरी की हत्या 4.7.2002 को कर दी गयी। स्व0 रामेश्वर सतवे के भाई गणेशी सतवे द्वारा दिनांक 15.4.2002 को कोर्ट में मुकदमा संख्या-270/2002 दर्ज कराने पर हत्यारे द्वारा तरह-तरह से दबाव और प्रलोभन दिया गया, उसके बाद उनके पत्नी को भी हत्या कर दी गई।

महोदय, सरकार हत्यारों को गिरफ्तार करे और गणेशी सतवे के जान-माल की सुरक्षा करे।

श्री उमा शंकर सिंह : महोदय, घटना हुई उसके बाद उसके पत्नी को दो बीघा जमीन देने का भी प्रलोभन दिया गया, नहीं माना तो उसके पत्नी की भी हत्या कर दी गई।

अध्यक्ष : सरकार इसको देखेगी।

श्री उमाशंकर सिंह : महोदय, अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

॥ व्यवधान ॥

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हरि प्रसाद साह जी, आप अपनी सीट पर जाइये। सरकार इस बात को गम्भीरता से ले रही है। सरकार इसको देखेगी।

श्री उमा शंकर सिंह : महोदय, सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है।

अध्यक्ष : संबंधित कागज लिखकर दे दीजिए, हम इसको अपने देखेंगे।

श्री गणेश पासवान : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर के थाना प्रभारी द्वारा अनुसूचित जाति के फौगुनी भुईया, ग्राम - औट को दिनांक 8.7.2002 को रात्रि में अकारण थाने ले जाकर रस्सी से हाथ बांधकर उसकी पिटाई की गई, उसका सारा शरीर लहु-लुहान कर दिया गया, अभी वह चलने लायक भी नहीं है और अभी तक अकारण थाने में उसको पकड़ कर रखे हुये हैं।

टर्न-19/मधुप/10.7.2002

अतः सरकार थानेदार पर कार्रवाई करे और उस भुईया को रिहा कराने का काम करे।

श्री उमा शंकर सिंह : महोदय, सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है ?

अध्यक्ष : सरकार नोटिस ले रही है। (व्यवधान)

डॉ० रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, सरकार सूचना ग्रहण करती है।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने सूचना ग्रहण किया। इसके लिए हमने याचिका समिति बनाया है, सब देखवा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने सूचना ग्रहण कर लिया, उनके पास प्रत्येक दिन की प्रोसिडिंग्स जाती है।

श्री भाई विरेन्द्र : महोदय, पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड के ग्यासपुर एवं रामपुर दियारा पंचायत में बी०पी०एल० के अधीन गरीबों का नाम नहीं देकर धनी वर्ग के लोगों का नाम देकर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। गरीब लोगों का नाम देने में प्रति प्रपत्र मुखिया एवं पंचायत सेवक मिलकर 40-50 रूपया लेकर उनका शोषण कर रहे हैं और धनी वर्ग के लोगों का नाम भेजा जा रहा है।

इसलिए मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इसकी जाँच करायी जाय और कार्रवाई की जाय।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको देखवाइये।

टी:20:अनी:दि0 10·7·02

श्री राज किशोर केसरी : अध्यक्ष महोदय, 3 जुलाई को भारत-पाक सीमा पर पूर्णियाँ जिले के संजीत कुमार शहीद हो गये। मृतक का शरीर 5 जुलाई को उनके घर लाया गया और उनका दाह-संस्कार 6 जुलाई को किया गया। इस प्रकार पर पूर्णियाँ के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय में रहने के बावजूद भी दाह-संस्कार में उपस्थित नहीं हुए। जबकि ये लोग छोटे-छोटे दुकानों के उद्घाटन के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उनका प्रतिनिधि भी नहीं गया। महोदय, बहुत गंभीर बात है। इस संबंध में दोनों पदाधिकारियों से पूछा जाय।

अध्यक्ष : जरूर पूछेगी सरकार।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में, खासकर गया में दिनांक 8·7·02 को दिन-दहाड़े एक व्यापारी के कर्मचारी बैंक जा रहे थे तो उनसे 6 लाख रूपया लूट लिया गया

अध्यक्ष : वह तो पकड़ा भी गया।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, रूपया रिकवर नहीं हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जिला है, गया के साथ-साथ गोपालगंज जिले में दो-दो बैंक डकैती हुई, 8 तारीख को स्टेट बैंक में और 9 तारीख को सेंट्रल बैंक में। साथ-ही-साथ गया-किउल रेलखंड के हॉल्ट पर दिनांक 8·7·02 को अपराधियों ने देहरादून एक्सप्रेस में भीषण डकैती कर दो लाख रूपये नगद एवं सम्पत्ति लूट लिए। विरोध करने पर सहायक शिक्षक, गया को गोली मारकर हत्या कर दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार में बैंक में डकैती और लूट बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है।

अध्यक्ष : इसपर आरक्षी अधीक्षक ने काफी त्वरित कार्रवाई की है। माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद यादव।

(व्यवधान)

आप बैठिए। माननीय सदस्य श्री रामप्रवेश बाबू, आप समाचार-पत्रों को क्यों लहरा रहे हैं, यह गलत बात है।

(व्यवधान)

आपलोगों की कोई बात हम नहीं सुन रहे हैं। मा0सदस्य श्री प्रहलाद यादव।

उर्मि:20:अमनो:दि0 10·7·02

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, दलित नेता दौना पासवान सरकारी कर्ज लिया था। समय पर पैसा नहीं देने पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या-337/02 उनके विरुद्ध हुआ था। उसी कांड में मुफस्सिल थाना प्रभारी टी0एन0सिंह दिनांक 1·7·02 को गिरफ्तार कर हाजत में बंद किया। सुबह दौना पासवान हाजत पुलिस अभिरक्षा में मृत पाया गया। चूंकि दलित नेता पासवान को काफी प्रताड़ित कर अमानवीय ढंग से पीटा गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। सही तथ्य को छिपाने के लिए प्रभारी ने आत्महत्या का नाटक करार दिया। दिनांक 2·7·02 को थाना प्रभारी ने श्री पासवान के घर जाकर उसकी पत्नी एवं परिवार को बुलाया और कहा कि आपका पति आत्महत्या कर लिया है जबकि वह प्रताड़ना एवं अमानवीय ढंग से पीटाई के कारण उसकी मौत हुई।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि थाना प्रभारी टी0एन0 सिंह एवं उनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाय तथा नौकरी से बर्खास्त किया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने चार लाईन का लिखकर दिया है और इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। यह गंभीर बात है। ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, सरकार इसको देखेगी।

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8-7-2002 को मुझे आरक्षी अधीक्षक, प0चम्पारण द्वारा सूचना मिली कि मेरा अंगरक्षक आरक्षी श्री प्रमोद कुमार सिंह को ज्ञापांक-801 दिनांक 15 जून 2002 द्वारा वापस लेकर मुख्य मंत्री के और आपके निर्देश की सभी विधायकों को दो अंगरक्षक की सुविधा दी जायेगी का उल्लंघन की । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूँ ।

अध्यक्ष : मैं इस पर खुद गंभीर हूँ ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे[मंत्री] : अध्यक्ष महोदय, आपके स्तर पर जो बैठक हुई थी, मुख्य मंत्री जी का निर्देश हो गया है कि जिन माननीय विधायकों को एक अंगरक्षक प्राप्त है, उनको दो अंगरक्षक दिया जायेगा । साथ ही साथ इनके संबंध में एस0पी0 को निर्देश दिया गया है कि उनका अंगरक्षक वापस नहीं किया जाय ।

[व्यवधान]

इसी पत्र के बाद एस0पी0 को निर्देश दिया गया कि माननीय सदस्या को जो अंगरक्षक मिला हुआ है, वह वापस नहीं किया जायेगा ।

[व्यवधान]

अध्यक्ष : मैं इसको स्वयं देखूंगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कब से लागू होगा ?

श्री चन्द्रमोहन राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार के निर्देश के बावजूद एस0पी0 ने यह पत्र लिखा है ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे[मंत्री]: इस पत्र के बाद सरकार का आदेश हुआ है कि उनका अंगरक्षक वापस नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष : मैं इस संबंध में आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय सदस्या और कई लोगों ने पत्र दिया था सीतामढ़ी में किसी कांड के संबंध में और इसके रिलेशन में

एस०पी० ने ऐसी बात की है, इसको आप अपने स्तर से देखिए । माननीय सदस्य ने आरक्षी अधीक्षक को पत्र लिखा, आरक्षी अधीक्षक को जानकारी प्राप्त होने पर तो एक्शन लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप नेता है, हर चीज पर क्यों उठ जाते हैं ?

श्री उमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था है कि इस संबंध में कई बार बैठक हुई और तय हुआ कि माननीय विधायकों को दो अंगरक्षक दिया जायेगा । इसको ये कब से लागू करेंगे ?

अध्यक्ष : यह आज से ही लागू होगा ।

श्री कृष्ण कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, प० चम्पारण जिलान्तर्गत देहुनिया उच्च विद्यालय में जहां विद्यार्थियों की संख्या 300 है, वही शिक्षकों की संख्या 3 है, हिन्दी के 2 और उर्दू के 1 है । बच्चों के पठन-पाठन में काफी कठिनाईयाँ होती है, बन्द प्रायः रहती है । जनहित में बच्चों के पठन-पाठन हेतु यूनिट के अनुसार शिक्षकों का पदस्थापन किया जाय ।

अध्यक्ष : इसको हम देखवा लेंगे ।

श्रीमती भागिरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, प०चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज नगर के बिजली के तार एवं ट्रांसफर्मर पुराने एवं जर्जर होने से सैकड़ों घटनाओं में दर्जनों व्यक्ति मारे जा चुके हैं । मुआवजा देते-देते राजस्व की काफी क्षति हुई । स्थानीय प्रशासन तार बदलने में अक्षम हैं । जनहित में पुराने,जर्जर तारों को बदलने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कम से कम 10 गांवों में 10-20 आदमियों की मृत्यु हो गई है और हमने सरकार से मुआवजा भी 5-6 आदमियों

टर्न-21/आजाद/10.7.2002

को दिलवाना है, इसलिए तार बदलवा दिया जाए।

श्री शकील अहमद (राज्य मंत्री): माननीय सदस्या तो परामर्शदात्री समिति की सदस्य भी हैं। आप वह कागज हमको दे दीजिए, हम इसको करा देंगे।

श्री रामदेव महतो :- मधुबनी जिलान्तर्गत कृषि बाजार समिति की स्थापना वर्षों पूर्व हुई लेकिन अभी तक प्रांगण की स्थापना नहीं की गयी जिसके कारण किसानों को अनाज खरीद बिक्री करने में बहुत कठिनाई होती है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी स्थापना जल्द से जल्द की जाए ।

श्री बलदेव प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे 28 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे विरूद्ध एक भी अपराधिक मामला किसी भी थाना में आज तक नहीं हुआ । मैंने सिवान कांण्ड के बाद एस0 पी0 के विरूद्ध 302 के तहत मुकदमा करने के लिए कहा था ,मोदी जी भी गये और भी हमारे प्रतिनिधि गये थे और कहा गया था कि उस एस0 पी0 के विरूद्ध 302 का मुकदमा किया जाय। मैंने एक पिस्तौल के लिए आवेदन दिया जिसपर लिखा गया है कि इनके विरूद्ध कई अपराधिक मामले दर्ज हैं । मैं इसपर चुनौती देता हूं ।

अध्यक्ष :- मैंने आपकी बात समझ लिया । इस बात को माननीय मंत्री ,यह गलत बात है ,जिस बात को माननीय सदस्य ने उठाया है ,आप आई0जी0 से जांच करायेंगे और इनको न्याय दिलवायेंगे ।

श्री विनोद कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड के रौतारा लवोचौक एक महत्वपूर्ण स्थान है और पूरे प्रखंड का केन्द्र पड़ता है । यहां के नागरिकों को उपचार हेतु 17 कि0मी0 घूम कर दूर सदर अस्पताल ,कटिहार जाना पड़ता है । अतः रौतारा लवो चौक पर एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने का कष्ट करें ।

श्री रामेश्वर प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार में खासकर नोखा में तार ट्रान्सफरमर नहीं रहने के कारण पोल भी नहीं रहने के कारण बिजली बाधित है और बिजली बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का 133 करोड़ रू0 पड़ा हुआ है ,बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारीयों की लापरवाही के चलते तार,पोल

है, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों की लापरवाही के चलते तार, पोल और ट्रान्सफार्मर खरीद नहीं हो रही है जिसके चलते मीटिंग से माननीय मंत्री को वाक-आउट करना पड़ा। मैं सदन से मांग करता हूं कि बिजली बोर्ड के निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके चलते जनता में आक्रोश है और नोखा क्षेत्र में तीन महीने से बिजली नहीं आ रही है ।

अध्यक्ष :- इस विषय पर इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती है ।

टर्न- 23 / दिनांक 10.7.02

(व्यवधान) (निरंतर)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री जनार्दन सिंह जी आपके मामले का जब निष्पादन हो गया फिर ..

श्री जनार्दन सिंह (सिग्रीवाल): महोदय, शून्य काल में दी गयी सूचना पढ़ने दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, सैलिया नगर थाना कांड सं0- 18/2001 में विधायिका श्रीमती रेणु देवी के भाई रवि कुमार को आरक्षी अधीक्षक बेतिया अपराधियों पर दबाव देकर नाम दिलवाया गया है। आरक्षी अधीक्षक विधायिका को भी अपमानित करने हेतु कुचक्र चला रहे हैं। उक्त कांड का जांच वरीय अधिकारी से कराने तथा आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई करने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष: (निरंतर) किससे जांच चाहते हैं?

श्री जनार्दन सिंह (सिग्रीवाल): आई0जी0 या डी0आई0जी0 से कराया जाय।

आई0जी0 से ही कराया जाय।

अध्यक्ष: आई0जी0 से जांच करा देंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, वि0 दल): महोदय, इतना गंभीर मामला है। महिला विधायिका हैं और इनके भाई को आरक्षी अधीक्षक, बेतिया ने अपराधियों से दबाव देकर इनका नाम दिलवाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप नहीं थे उस दिन मोदी जी। मैंने श्रीमती रेणु देवी की सिक्युरिटी के बारे में सिरियसली लिया, कार्रवाई करने को दिया। आपके पूर्व हमने इसको गंभीरता से लिया है, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को आई0जी0 से जांच करायी जायगी।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह (सिग्रीवाल): एक बात और अध्यक्ष महोदय। लिखित शून्य काल में सूचना मैंने दी थी। पानी की दिक्कत है। पानी आज भी नहीं चल रहा है और हजारों गैलन पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है।

अध्यक्ष: (निरंतर) आज 6 बजे शाम को हम जा रहे हैं, आप भी चलियेगा।

श्री जनार्दन सिंह (सिग्रीवाल): महोदय, इस संबंध में सरकार ने आश्वासन भी दिया था।

अध्यक्ष: मैं मंत्री जी को भी लेकर जाऊंगा। बैठिये।

टर्न- 23/ विजय 10.7.02

श्रीमती अरुणा देवी: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मे विचाराधीन कैदी श्री [illegible] अखिलेश सिंह के केस को 6 माह स्थगित कर नवादा से भागलपुर केन्द्रीय कारा भेजा पुनः उनके केसों को स्थगित कर केन्द्रीय कारा बक्सर भेजने का निर्णय हुआ। अतः श्री सिंह का स्थानान्तरण रोकते हुए स्थगित केसों को सरकार चालू करे।

अध्यक्ष: क्रमांक 14 पर माननीय सदस्य, श्री अखलाक अहमद की शून्यकाल में सूचना थी। चूँकि 100 शब्द में सूचना थी इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी माननीय सदस्य बहुत संक्षेप में बोल दें।

[illegible] अध्यक्ष महोदय, [illegible], [illegible] श्री [illegible] सुरेश सिंह के [illegible] ग्राम जैतपुर [illegible]

श्री अखलाक अहमद: अध्यक्ष महोदय, जैतपुर [illegible] निवासी श्री सुरेश सिंह की बेटी के सतकार के निमंत्रण पर श्री नवीन कुमार सिंह पिता श्री पशुपति सिंह, मोहनपुर, पुनाईचक पटना, श्री [illegible] सिंह पिता श्री राम निवास सिंह ए0/जी0 पी0सी0 कोलनी [illegible] [illegible] के रीजवान, हजारीबाग अन्य 12 [illegible] साथियों के साथ [illegible] हुए। श्री सुरेश सिंह एवं उनके अन्य साथियों ने आग्नेयास्त्र से फायरिंग [illegible] आतंक पैदा करते हुए तीन व्यक्तियों को पकड़ बाकी को छोड़ दिया। [illegible] उन तीन व्यक्तियों को पता नहीं है लापाता हैं। जानकारी मिल रही है [illegible] उन तीनों को मार डाला गया है। महोदय, इस संबंध में उनके पिता द्वारा [illegible] थाना में में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी [illegible]- 51/2002 दिनांक 04.07.2002 है। इस ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अखलाक अहमद: महोदय, सरकार सुन नहीं रही है।

(व्यवधान)

श्री अवध बिहारी चौधरी (मंत्री): सरकार सब सुन रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे।